बजट घोषणा वर्ष 2022—2023

क्र.स.	घोषणा संख्या	घोषणा विवरण
1.	24.01	Road Safety Act लाया जाकर 'Rajasthan Public Transport Authority' का गठन प्रस्तावित है।
2.	24.03	शांहजहांपुर से अजमेर (NH.48 व NH.448), बर—बिलाड़ा—जोधपुर (NH.25) तथा सीकर से बीकानेर (NH.11 व NH.52) तक के भाग को Pilot Project के तहत् दुर्घटनारहित सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा।
3.	24.02	HCM RIPA जयपुर में State Road Safety Institute खोला जाएगा।
4.	78.00	यात्रियों के बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्रीय बस स्टैण्ड, सिंधीकैम्प को Multimodal Integrated ISBT Hub के रूप में विकसित करते हुए सीकर रोड, अजमेर रोड, आगरा रोड, टोंक रोड एवं दिल्ली रोड पर सैटेलाइट बस टर्मिनल बनाये जाएंगे। इन पर लगभग 750 करोड़ रू. की लागत आएगी।
5.	78.01	Roadways (RSRTC) एवं निजी बसों के Stands के उन्नयन व Repair संबंधी कार्य लगभग 125 करोड़ रू. की राशि से कराये जाने प्रस्तावित है।
6.	170.3	Motor Vehicle Act: वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से Transport Amnesty Scheme 2022 लाया जाना प्रस्तावित करता हूँ। इस योजना की अवधि 30 सितम्बर, 2022 तक होगी, इसमें — (a) खान विभाग के ई—रवन्ना पोर्टल पर ओवरलोड वाहनों के संबंध में 31 दिसम्बर, 2021 तक कारित अपराधों के प्रशमन (Compounding) हेतु Amnesty योजना लायी जाएगी। (b) मोटर वाहनों पर 31 दिसम्बर, 2021 तक के बकाया कर जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में छूट दी जाएगी। (c) बकाया राशि जमा होने पर नष्ट हो चुके वाहनों का नष्ट होने की तिथि के पश्चात् देय कर, ब्याज एवं शास्ति में छूट दी जाएगी।
7.	202.0	प्रदूषण नियंत्रण हेतु CNG चलित वाहनों को बढ़ावा देने हेतु मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट है। अब यह छूट CNG Kit Retrofitment कराये जाने वाले वाहनों पर भी देय होगी।
8.	203.0	विगत वर्ष संभागीय क्षेत्र के संविदा परमिट (Contract Carriage Permit) जारी करने का प्रावधान किया जाकर ऑल राजस्थान परमिट की तुलना में मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की गयी थी। इस छूट को बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
9.	204.0	स्टैज कैरिज बसों के लिए माह अप्रैल से फरवरी तक नियमित रूप से मोटर वाहन कर जमा कराने पर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में देय मोटर वाहन कर में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।
10.	205.0	वर्तमान में RC Surrender की अवधि अधिकतम 90 दिवस है, जिसे बढ़ाकर एक कैलेण्डर वर्ष में 180 दिवस किया जाना प्रस्तावित है।
11.	211.07	जयपुर मुख्यालय पर परिवहन विभाग से संबंधित कार्य की अधिकता को देखते हुए एक अतिरिक्त क्षैत्रिय परिवहन कार्यालय खोला जाना प्रस्तावित है।
12.	211.08	विभाग को Enforcement गतिविधियों एवं कुशलता बढ़ाने हेतु 50 वाहन उपलब्ध कराये जाना प्रस्तावित है।

क्र.स.	घोषणा संख्या	घोषणा विवरण
13.	212.03	दिव्यांग जनों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उनके द्वारा क्रय किये जाने वाले वाहनों पर छूट दिया जाना प्रस्तावित है, इसके तहत्– (a) दिव्यांगजन, जो पैर से अशक्त है, को Automatic Transmission वाले 10 लाख रू. तक के चार पहिया वाहनों के क्रय पर मोटर वाहन कर में शत् प्रतिशत छूट दी जाएगी। (b) दिव्यांगजन के उपयोग में लिये जाने वाले Adapated/ Retrofitted दुपहिया/तिपहिया वाहनों के क्रय पर मोटर वाहन कर में पूर्ण छूट दी जाएगी।
14.	239.00	गत वर्ष एवं इस वर्ष के प्रारम्भिक महीनों में कोविड़ महामारी के चलते Tour Operators को हानि हुई है। अतः Indian Association of Tour Operators (IATO) तथा Rajasthan Association of Tour Operators (RATO) से मान्यता प्राप्त Tour Operators द्वारा संचालित वातानुकूलित लग्जरी बसों को 01 अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक मासिक मोटर वाहन कर में पूर्ण छूट दिये जाने की घोषणा करता हूँ।
15.	240.0	वर्ष 2021–22 में मैने e-vehicles के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिए 31 मार्च, 2022 तक ऐसे वाहनों के क्रेताओं को SGST का पुनर्भरण करने का तथा दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों पर बैटरी क्षमतानुसार क्रमशः 5 से 10 हजार तथा 10 से 20 हजार रू. तक का एकमुश्त अनुदान दिये जाने की घोषणा की थी। अब SGST पुनर्भरण तथा एकमुश्त अनुदान की अवधि 31 मार्च, 2023 तक बढाने की घोषणा करता हूँ।
16.	241.0	टैक्सी/मैक्सी कैब के गैर–परिवहन यानों के रूप में असाइनमेंट होने पर अतिरिक्त कर नहीं लिया जाएगा।
17.	242.0	बेगूं –चितौड़गढ़ में नवीन उप परिवहन कार्यालय खोला जाएगा।
18.	390.12	सलूम्बर, उदयपुर में नया जिला परिवहन कार्यालय खोला जाएगा।